

आदेश पत्रक

2024/350

(नियम 13)

(General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी नीमकाथाना (राज.)

हुनुमान पलाद बनाम तदलीलदा

किस्म मुकदमा दावा घोषणा रिसाई नम्बर 134/2024 सन्
दुरात्री व व्यापारी विधेव्यात्र

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
5.11.24	<p>दावा वादी जरिये वकील पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 16.12.24 को पेश हों।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)</p> <p>16¹²/₂₄ पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय बौरै पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20.12.24 को पेश हो</p> <p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय बौरै पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20.12.24 को पेश हो</p>	
25/12	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्राथी उपस्थित नहीं। न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्राथी उपस्थित नहीं। अतः अफरफ को इसी स्तर पर अदम लजरी अदम पैरदी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार</p>	

2024/379

आदेश पत्रक

(नियम 13)

(General (Civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी नीमकाथाना (राज.)

दनुमान प्रसाद बनाम लक्ष्मीमता

किस मुकदमा प्रार्थना पत्र अन्वयाधीन नम्बर 85/2024 सन् त्रिबेदात्ता

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
5.11.24	<p>प्रार्थना पत्र प्रार्थी परिसरे वकील पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रार हो। प्रार्थी लक्ष्मीमता को नोडित पाती है एवं मोका की रिपोर्ट हेतु तदरीफ पाती है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं इन्तजा मोका रिपोर्ट हेतु दिनांक 16.12.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)</p> <p>16¹²/₂₄ पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय बौरेश राजमन्ने ने न्यायालय पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 20.12.24 को पेश हो।</p> <p>20¹²/₂₄ पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय बौरेश पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25.12.24 को पेश हो।</p> <p>25¹²/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं। न्यायालय का समय पूर्ण होने तक कार-बार आवाज लगाई गई। कार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अदम हजरी अदम पेशवी में खरिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुगर</p>	<p>893 5-11-24</p>